

Renewal NOC

Print

प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनाकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/153506/MZN/MUZAFFARNAGAR/1245/CFO

दिनांक: 18-04-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स shikhar siksha sadan higher secondary school (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 1007 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1016 meeranpur, meeranpur meerut state highway, muzaffarnagar तहसील - jansath जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
school	4	0	7.32 mt.

तथा प्लॉट एरिया 13809.05 sq.mt है। भवन का अधिभोग shikhar siksha sadan higher secondary school (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ एनबीसी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनांक 22-04-2025 को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री rajesh sharma के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal of Fire & Life Safety Certificate) (एनबीसी0 की अधिभोग श्रेणी) Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 01-05-2025 से 30-04-2028 तक 3 वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की स्थलीय निरीक्षण आख्या के आधार पर निम्न उपबन्धों के अधीन एनबीसी 2016, उ0प्र0 अ0 तथा आ0 सेवा नियमावली 2024 के अनुसार एनबीसी0 निर्गत किया जा रहा है। अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण-पत्र विभाग को प्रेषित करें। 2-फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाय। 3-विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन होगा यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त स्कूल में भूतल एवं प्रथम तल तक ही निर्मित है।

निर्गत किये जाने का दिनांक : 01-05-2025

स्थान : MUZAFFARNAGAR

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

ANURAG KUMAR

417D42DEDA4FC9C4EEF918993FF64C0F99A2E8F0

01-05-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.